हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5/7/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/7/25 को पेश हो।	
31/7/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/8/25 को पेश हो।	
14/8/25 पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की खाता स. 246 के ख० स. 1814, 1815/2719 कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा ग्राम कादोला की भूमि हमारे खाते में दर्ज है। हमारी भूमियो के पास खाता नं० 234 ख० न० 1815 रकबा 15.03 बीघा भूमि अप्रार्थीस.1 के खाते है। अप्रार्थीगण सरहदो में अधिक व झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो आये दिन हमारी भूमियो में दखलन्दाजी कर अतिक्रमण का प्रयास करते रहते है। अत: अप्रार्थीगण को हमारी भूमियों में दखलंदाजी नही करने, कब्जा का प्रयास नही करने इत्यादि निषेधाज्ञा से ताफैसला जारी पाबन्द किया जावें। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की ख० न० 1814 मे से करीब 1.05 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होकर हमारा पिछले करीब 60-70 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

किस्म मुकदमा............ नं............ सन्....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने भूमियों पर आने जाने के रास्तों को रोककर अपनी भूमियों मे मिला लिया है व अब हमारे खाते की भूमि ख॰न॰ 1815 पर जबरन कब्जा करना चाहते है व ख॰न॰ 1814 पर हमारे कब्जे से हमे बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रकरण करने के अभाव मे खारीज योग्य होने से खारीज किया जावे।	
	हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली मे सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता न॰ 246 ग्राम काहोला प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। व खाता सख्या 234 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपनी खातेदारी भूमि पर दखलदांजी नही करने का अनुतोष चाहा गया है।	
	T.I. प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय हेतु निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्नानुसार है:-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला → विवादित भूमि खाता स॰ 246 के ख॰न॰ 1814 व 1815/2719 कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खाते में अंकित होकर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।	
2.	सुविधा सतुंलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि या प्रार्थीगण के खातेदारी में अंकित होकर कब्जा काश्त होने व भूमियों	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पर सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनता है। 3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना - विवादित भूमियाँ प्रार्थीगण की खातेदारी मे अंकित है, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उनका कब्जा होना अंकित है। खातेदार की भूमि पर अन्य का कब्जा केवल अतिक्रमी की हैसियत से होने से, प्रार्थीगण की अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है। उपरोक्त बिन्दुवार अंकित विवेचनानुसार प्रकरण के पक्ष मे होने से न्यायालय द्वारा दिनांक- 26/06/19 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद "कन्फर्म (confirm)" की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	